भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ानों में विलंब, उनके रद्दीकरण और लंबी कतारों की समस्याओं से दुष्प्रभावित भारतीय घरेलू हवाई यात्रा

2 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय घरेलू हवाई यात्रा, उड़ानों में विलंब, उनके रद्दीकरण और लंबी कतारों की समस्याओं से दुष्प्रभावित है और क्या विमानन कंपनियां यात्री सुविधा के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दे रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मनमाने ढंग से किराया वृद्धि और सामान शुल्क में बढ़ोतरी के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विमानन कंपनियों को विनियमित करने और विमानपत्तन अवसंरचना में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भारत में हवाई यात्रा कब तक सभी के लिए एक परेशानी-रहित अनुभव बनेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): उड़ानें, विभिन्न कारणों जैसे मौसम, तकनीकी, परिचालन संबंधी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी), रैंप, हवाईअड्डे की समस्याओं, प्रतिक्रियात्मक या अप्रत्याशित घटना अर्थात एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की असाधारण परिस्थितियों के कारण विलंबित या रद्द हो जाती हैं।

उड़ानों में देरी के परिणामस्वरूप यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने और उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने "बोर्डिंग से मनाही, उड़ानों के रद्द होने और देरी के कारण एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ" शीर्षक से नागर विमानन अपेक्षाएं खंड 3, श्रृंखला एम, भाग IV जारी की हैं।

(ख) से (घ): सरकार, भारतीय या विदेशी एयरलाइनों द्वारा निर्धारित व्यावसायिक किरायों को विनियमित नहीं करती है। किसी भी मार्ग पर किराए, अन्य बातों के साथ-साथ, मौसम, छुट्टियों और त्योहारों, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की लागत,

प्रतिस्पर्धा और अन्य समान कारकों पर निर्भर होते हैं। एयरलाइन मूल्य निर्धारण कई स्तरों {बकेट या आरबीडी} में किया जाता है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही प्रथा के अनुरूप है और गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के कारण, पहले से खरीदे गए टिकट यात्रा की तारीख के आसपास खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत, एयरलाइनें प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशिष्टताओं, आम तौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) यह सुनिश्चित करती है कि एयरलाइन द्वारा वसूले जा रहे किराए, एयरलाइन द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार हों।

हवाईअड्डों पर अवसंरचना का विस्तार और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह समय-समय पर यात्री मांग के पूर्वानुमान, विमान परिचालन की सुरक्षा के लिए परिचालन आवश्यकताओं और भूमि की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ इच्छित विमान परिचालन से संबंधित अन्य सुविधाओं के आधार पर, एयरलाइनों की मांग के आधार पर किया जाता है।

******